

राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम

(सरकार का प्रतिष्ठान)

प्रधान कार्यालय, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर


क्रमांक : प्र.का./प्रशा./विधि/FSSA Licence/2016/ 5885 दिनांक : 04.6.2020

समस्त वरिष्ठ भण्डार प्रबन्धक/
भण्डार प्रबन्धक/भण्डार प्रभारी,
राज्य भण्डारगृह।

विषय : फूड सेफ्टी एण्ड स्टेण्डर्ड एक्ट, 2006 एवं फूड एण्ड स्टेण्डर्ड (लाइसेन्स एण्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस) रेगुलेशन, 2011 के अन्तर्गत लाइसेन्स रिन्यू करवाने बाबत।


सन्दर्भ: इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 16904 दिनांक 18.12.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के द्वारा आपको निर्देश दिये गये थे कि फूड सेफ्टी एण्ड स्टेण्डर्ड एक्ट, 2006 एवं फूड एण्ड स्टेण्डर्ड (लाइसेन्स एण्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस) रेगुलेशन, 2011 के अन्तर्गत लाइसेन्स प्राप्त करें/रिन्यू करावें एवं साथ ही की गई कार्यवाही से प्रधान कार्यालय को अवगत कराने हेतु निर्देश दिये गये थे। परन्तु, आपके द्वारा अभी तक भी की गई कार्यवाही एवं फूड एण्ड स्टेण्डर्ड लाइसेन्स की छाया प्रति प्रधान कार्यालय को नहीं भिजवायी गई है। अतः फूड एण्ड स्टेण्डर्ड लाइसेन्स की छाया प्रति प्रधान कार्यालय को अविलम्ब भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।


(राज वर्धन)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रोग्रामर, प्रधान कार्यालय, जयपुर-निगम वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


(राज वर्धन)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)